राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 35/2014/जयपुर
2.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 36/2014/जयपुर
3.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2014/जयपुर
4.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 38/2014/जयपुर

ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी
जयपुर   अपीलार्थी

बनाम

1.अपीलेट अथॉरिटी–तृतीय
वाणिज्यिक कर, जयपुर
2.सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,राज. वृत–तृतीय,जयपुर   प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री विवेक सिंघल
अभिभाषक   अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक   प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 19.05.2014

निर्णय

उक्त चारों विविध प्रार्थना पत्र अपील संख्या 2089, 2090, 2091 एवं 2092/2013 जिला जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2013 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए हैं,जिनमें कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38 (4) के अन्तर्गत दिनांक 11.12.2013 को पारित निर्णय में अपीलीय अधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर(जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) को निर्देश दिये गये थे कि उक्त निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपीलों में निर्णय पारित करें।

अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्रांक अप्रा/ अपील्स–।।//13–14/1027 दिनांक 11.03.2014 में निवेदन किया गया है कि सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन,राज. वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे कर 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा रिकार्ड कुछ समय पूर्व ही भिजवाया गया है इसलिए उक्त अपीलों का निस्तारण माननीय खण्डपीठ द्वारा दी गई समयावधि में किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। अतः अपीलों के निस्तारण हेतु 6 माह की समयावधि बढाने हेतु निवेदन किया गया है। चारों विविध प्रार्थना पत्रों में एक ही बिन्दु विवादित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11.03.2014 पर विचार किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 11.03.2014 में बताया गया है कि खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक

11.12.2013 से सम्बन्धित प्रकरणों का रिकार्ड कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हुआ है इसलिए माननीय खण्डपीठ द्वारा दी गई समयावधि में उक्त अपीलों का निर्णय किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के तीन माह के भीतर खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2013 से सम्बन्धित अपील संख्या 2089, 2090, 2091 एवं 2092/2013 जिला जयपुर का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

विविध प्रार्थना पत्रों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(जे.आर. लोहिया)
सदस्य